संख्या: 360 / 18(1) / 2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल,
पौड़ी।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक 17 मई, 2006

विषय:–जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल को सार्वजनिक प्रयोगार्थ ग्राम पुण्डरासू पट्टी तल्ला बदलपुर–1 के खाता संख्या–18 मध्ये 05 नाली (0.100है0) नाली भूमि आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–294 / 11–35 / 2004–2005 दिनांक 18 11 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल को सार्वजनिक प्रयोगार्थ हेतु राजस्व अनुभाग–1 (अ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या–558 / 16(1) / 73–रा–1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या 1695 / 97–1–1(60) / 93–रा–1 दिनांक 12–9–97 में दिये गये प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ग्राम पुण्डरासू पट्टी तल्ला बदलपुर–1 के खाता संख्या–18 मध्ये 05 नाली (0.100 है0) भूमि वर्तमान बाजार मूल्य के दोगुना नजराना एक मुश्त जमा करने एवं वर्तमान दर पर निकाली गयी मालगुजारी के बीस गुने के बराबर वार्षिक किस्तों में नियत करके निम्नलिखित शर्तों के अधीन पट्टे पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(1) प्रश्नगत भूमि का उपयोग सिर्फ कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत की गई है।

(2) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने / पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकारी पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150 / 1 / 85(24)–रा0–6 दिनांक 9 अक्टूबर, 1987 में निहित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा जो पूर्व लगान के 1 1/2 गुना से कम नहीं होगा।

(2)

(4) प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए का कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।

(5) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा यदि उसके मालिक का पैतृक बिना वारिस हो गया हो, तो भूमि/भवन स्थल सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(6) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या 1 से 5 तक से हो किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि मय निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

2 उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0 पलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2 जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
3 मा0अध्यक्ष, जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल।
4 निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल।
5 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।